भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2774

08 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ

एनटीपीसी बिजली संयंत्र गाडरवारा

2774. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में एनटीपीसी बिजली संयंत्र, गाडरवारा ने क्षेत्र की स्थिति बदल दी है और रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बिजली संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के निबंधनों और शर्तों का पालन किया गया है और यदि हां, तो इसके लिए अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) संयंत्र द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश से कितना लाभ हुआ है और किन उत्पादों से फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है;

(घ) उक्त संयंत्र द्वारा मेगावाट के संदर्भ में कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ङ) क्या भविष्य में कोई परियोजना प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस परियोजना से प्रभावित गांवों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए क्या कार्य किये जा रहे हैं;

(छ) कितने स्थानीय युवाओं को स्थायी और अस्थायी रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ज) संस्था द्वारा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : एनटीपीसी गाडरवारा विद्युत परियोजना आसपास की अवसंरचना के विकास और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सहयोग कर रही है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से द्वितीयक रोजगार सृजित करके आसपास के गांवों के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

(ख) : एनटीपीसी गाडरवारा ने विद्युत संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की शर्तों का अनुपालन किया है। सरकारी भूमि को छोड़कर अधिकांश भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) जिले में राज्य सरकार के माध्यम से अधिग्रहित की गई है। इसने विद्युत संयंत्र के विकास के लिए कुल 2,120.07 एकड़ सरकारी और निजी भूमि का अधिग्रहण किया है।

(ग) : एनटीपीसी गाडरवारा ने संयंत्र द्वारा उत्पादित फ्लाई ऐश से कोई लाभ नहीं कमाया है क्योंकि ऐश की बिक्री से प्राप्त सभी राजस्व का उपयोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क परियोजनाओं के लिए फ्लाई ऐश परिवहन के लिए किए गए व्यय की भरपाई के लिए किया गया है। अधिकांश फ्लाई ऐश का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया जाता है।

(घ) : एनटीपीसी गाडरवारा थर्मल संयंत्र की उत्पादन क्षमता 1,600 मेगावाट (2X800 मेगावाट) है।

(ङ) : एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीपी के चरण-II के अंतर्गत 800 मेगावाट की दो अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल इकाइयां (अर्थात 2x800 मेगावाट) जोड़ने की योजना बना रही है।

(च) : परियोजना प्रभावित गांवों और अन्य निकटवर्ती गांवों में अवसंरचना के विकास के विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें सड़कें, नालियां, पेयजल सुविधाएं, सौर लाइटों की संस्थापना, पंचायत भवन और सामुदायिक हॉल का निर्माण, गांवों में स्वागत द्वारों का निर्माण, तहसील गाडरवारा के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना और शुरु करना, श्मशान घाटों का निर्माण, विभिन्न सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण, सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, मौजूदा अवसंरचना के नवीनीकरण के माध्यम से जिला अस्पताल को सहायता प्रदान करना शामिल है।

परियोजना प्रभावित परिवारों और आस-पास के गांवों के परिवारों को चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस सुविधाओं सहित, विभिन्न कौशल विकास कार्यशालाएं यथा सिलाई कार्यशाला, कंप्यूटर साक्षरता कार्यशाला और परियोजना प्रभावित गांवों की महिला आबादी के लिए ब्यूटी पार्लर कार्यशाला की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। एनटीपीसी अपने प्रमुख कार्यक्रम बालिका सशक्तीकरण मिशन (जीईएम) के तहत छात्राओं के लिए एक आवासीय कार्यशाला भी आयोजित कर रहा है, जो प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है।

(छ) : कुल 1,191 स्थानीय युवाओं को विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा रोजगार में लगाया गया है।

(ज): एनटीपीसी ने स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं -

- श्रम कौशल पोर्टल"- इच्छुक व्यक्तियों की रिपॉजिटरी जो एनटीपीसी गाडरवारा में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर तैनाती चाहते हैं, को क्रियाशील बना दिया गया है।

- एनटीपीसी गाडरवारा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका के लिए उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के गठन को प्रोत्साहित करता है।

- परियोजना प्रभावित परिवारों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के सहकारी गठन को प्रोत्साहित किया गया है। इन पीएपी सहकारी समितियों को कार्य निष्पादित करने की उनकी क्षमता के अनुसार चयन/नामांकन के आधार पर विभिन्न संविदाएं आवंटित की गई हैं।

- इसके अलावा, प्रभावित भू-विस्थापितों को उनकी क्षमता के आधार पर नियमित रूप से फुटकर कार्य भी सौंपे जाते हैं।

एनटीपीसी लिमिटेड की आर एंड आर नीति के अनुसार आजीविका के आर्थिक अवसर, जिसमें दुकानों का आवंटन, वाहनों को किराये पर लेना शामिल है, परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को प्रदान किए गए हैं।

****